रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 318] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 1978/आषाढ़ 7, 1900

No. 318] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 1978/ASADHA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

अधिसूचना

बीमा

नई दिल्ली, 28 जून 1978

का० आ० 414(अ).—केन्द्रीय सरकार साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1972 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल स्कीम कहा गया है) में, पैरा 3 में,—

(i) उपपैरा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(11क) "सकल वेतन" से नए निबन्धनों के अधीन संदेय मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का योग अभिप्रेत है" ;

(ii) उपपैरा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(13क) "बाह्य भत्ता" से मनोरंजन भत्ता, सवारी भत्ता या ऐसा अन्य समतुल्य भत्ता अभिप्रेत है जो निगम द्वारा अनुज्ञात है या जिन्हें निगम अनुज्ञात करे।" ;

(iii) उपपैरा (15) में "खाने के भत्ते" शब्दों के पश्चात् "अंतरिम सहायता" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) उपपैरा (15) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(15क) "वर्तमान सकल वेतन" से वर्तमान सकल उपलब्धियों में से नकद में संदत्त मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पहाड़ी स्टेशन भत्ता और खाने के भत्ते के रूप में प्राप्त सभी भत्तों को घटा देने पर शेष रकम अभिप्रेत है।" ;

(v) उपपैरा (17) में, सारणी के नीचे खण्ड (ख) में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण :—ऊपर की सारणी के स्तम्भ (2) के उपस्तंभ (क) में विनिर्दिष्ट कीमत-अनुपात की सीमाओं के होते हुए भी, 1 जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर, 1977 तक की अवधि की सुसंगत सीमा वह होगी जो ऊपर की सारणी के स्तम्भ (2) के उपस्तम्भ (ख) में विनिर्दिष्ट की गई है।"

3. मूल स्कीम के पैरा 5 में विद्यमान उपपैरा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(3) (क) ऐसा फील्ड कार्यकर्ता जिसकी वर्ष 1976 के दौरान प्रीमियम से होने वाली निश्चित आय 45,000 रु० से कम न हो

वर्ष 1977 के लिए फील्ड कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट फील्ड कार्यकर्ता का वर्ष 1977 का कार्य उपपैरा (2) में अधिकथित मानकों के अनुरूप है तो उसे तदनुसार 1 जनवरी, 1978 से प्रवर्गीकृत किया जाएगा।

(4) ऐसे फील्ड कार्यकर्ताओं की सेवाएं जिन्हें उपपैरा (3) के खण्ड (क) के अधीन फील्ड कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता या जिन्हें उपपैरा (2) के खण्ड (ख) के अधीन निरीक्षक श्रेणी 1 या निरीक्षक श्रेणी 2 के रूप में प्रवर्गीकृत नहीं किया जा सकता, सुसंगत वर्ष के दौरान उनके कार्यकलाप का पुनर्विलोकन करने के पश्चात उन्हें सूचना की तामील होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के अवसान पर तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी।

4 मूल स्कीम के पैरा 7 में,—

(i) उपपैरा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में "वर्तमान सकल उपलब्धियां जो 31 दिसम्बर, 1975 को है, मासिक सकल उपलब्धियों के समतुल्य हो, शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"वर्तमान सकल मासिक वेतन जो 31 दिसम्बर, 1975 को है, सकल मासिक वेतन के समतुल्य है।"

(ii) उपपैरा (2) में खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) में "वर्तमान सकल उपलब्धियां जो 31 दिसम्बर, 1974 को हैं मासिक सकल उपलब्धियों के समतुल्य हैं" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"वर्तमान सकल मासिक वेतन जो 31 दिसम्बर, 1974 को है, सकल मासिक वेतन के समतुल्य है।"

(iii) उप पैरा (3) में खण्ड (क) के उप खण्ड (i) में "वर्तमान सकल उपलब्धियां, जो 31 दिसम्बर, 1973 को है मासिक सकल उपलब्धियों के समतुल्य हैं" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"वर्तमान सकल मासिक वेतन, जो 31 दिसम्बर, 1973 को है, सकल मासिक वेतन के समतुल्य है;"

(iv) उपपैरा (4) के खण्ड (क) में—

(क) उपखण्ड (i) में "वर्तमान सकल उपलब्धियां, जो 1 जनवरी, 1973 को हैं, मासिक सकल उपलब्धियों के समतुल्य है" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"वर्तमान सकल मासिक वेतन, जो 1 जनवरी, 1973 को है, सकल मासिक वेतन के समतुल्य है;"

(ख) उपखण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) उपखण्ड (i) के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित मूल वेतन को 1 जनवरी, 1973 का मूल वेतन समझा जाएगा।"

(ग) उपखण्ड (iii) में "उपखण्ड (iii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपखण्ड (ii)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

5. मूल स्कीम के पैरा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"8. पैरा 4 के उपपैरा (6) और पैरा 5 के उपपैरा (1), (2) और (3) के अधीन प्रवर्गीकृत व्यक्तियों के संबंध में वेतन नियत करने की पद्धति—

पैरा 4 के उपपैरा (6) और पैरा 5 के उपपैरा (1), (2) और (3) के अधीन निरीक्षक श्रेणी 1 या निरीक्षक श्रेणी 2 के रूप में प्रवर्गीकृत प्रत्येक व्यक्ति का मूल वेतन इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित वेतनमान में, निम्नलिखित ढंग से नियत किया जाएगा:—

(i) मूल वेतन समुचित वेतनमान में उस क्रम पर नियत किया जाएगा जिस पर वर्तमान सकल मासिक वेतन, जैसा कि वह प्रवर्गीकरण की तारीख को है मासिक सकल वेतन के समतुल्य हो और यदि समुचित वेतनमान में कोई ऐसा क्रम नहीं है तो उक्त समुचित वेतनमान में उससे ऊपर के अगले क्रम पर नियत किया जाएगा।

(ii) यदि खण्ड (i) में अवधारित मूल वेतन, समुचित वेतनमान के अधिकतम से बढ़ जाता है, तो वह ऐसे अधिकतम पर नियत किया जाएगा।"

6. मूल स्कीम के पैरा 9 में,—

(i) उपपैरा (1) में, "पैरा 5 के उप-पैरा (2) के अधीन निरीक्षक श्रेणी 1 या निरीक्षक श्रेणी 2 के रूप में प्रवर्गीकृत नहीं किया जाता या उसकी सेवाएं पैरा 5 के उपपैरा (3) के अधीन समाप्त नहीं की जाती" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात्

पैरा 5 के उपपैरा (2) या उपपैरा (3) के अधीन निरीक्षक, श्रेणी 1 या निरीक्षक श्रेणी 2 के रूप में प्रवर्गीकृत नहीं कर दिया जाता है या उसकी सेवाएं पैरा 5 के उप-पैरा (4) के अधीन समाप्त नहीं की जाती है;

(ii) उपपैरा (3) में, "1976 के दौरान" शब्दों और अंकों के स्थान पर "किसी वर्ष के दौरान" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपपैरा (3) के परन्तुक में, "वर्ष 1975 के लिए" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सुसंगत वर्ष के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल स्कीम के पैरा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"11 खर्च नियंत्रण—(1) विकास कर्मचारीवृन्द का प्रत्येक व्यक्ति इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार उसका प्रवर्गीकरण किये जाने के पश्चात् इतना खर्च करेगा जितने से वह पैरा 3 के खण्ड (17) के उपखण्ड (ख) में अनुबद्ध सीमाओं के भीतर अपना खर्च अनुपात बनाए रखे।

(2) यदि विकास कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य की बाबत किसी विशिष्ट वर्ष के लिए खर्च अनुपात अनुबद्ध सीमा से बढ़ जाता है, तो पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के ठीक अगले वर्ष में सदेय बाह्य भत्ते में से उतनी राशि घटा दी जाएगी जितनी राशि तक उसका खर्च अनुपात पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान अनुबद्ध सीमा से अधिक है:

परन्तु यदि पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के ठीक अगले वर्ष में विकास कर्मचारिवृन्द के सम्बद्ध सदस्य को सदेय बाह्य भत्ता इस पैरा के उपबंधों के अनुसार घटाई गई राशि से कम है, तो विकास कर्मचारीवृन्द के सम्बद्ध सदस्य को, पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के ठीक अगले वर्ष के दौरान कोई बाह्य भत्ता नहीं दिया जायगा:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई कमी नहीं की जायगी यदि विकास कर्मचारीवृन्द के सम्बद्ध सदस्य को, पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के ठीक अगले वर्ष के दौरान, कोई बाह्य भत्ते सदेय नहीं थे।

(3) यदि विकास कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य का खर्च अनुपात, लगातार दूसरे वर्ष में भी, अनुबद्ध सीमाओं से बढ़ जाता है तो उसे इस आशय का चेतावनी पत्र दिया जाना चाहिए कि लगातार तीसरे वर्ष में भी खर्च अनुपात अनुबद्ध सीमाओं से बढ़ जाने की दशा में उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) जहां विकास कर्मचारिवृन्द का कोई व्यक्ति लगातार तीन वर्षों तक अनुबद्ध सीमाओं से अधिक खर्च अनुपात पर कार्य करता है तो तीसरे वर्ष के उसके कार्य के मूल्यांकन के पश्चात् उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(5) जहां विकास कर्मचारिवृन्द के किसी व्यक्ति के बाह्य भत्ते उपपैरा (2) के अधीन कम कर दिए जाते हैं या उसकी सेवाएं उपपैरा (4) के अधीन समाप्त कर दी जाती है, वहां ऐसे बाह्य भत्तों की कमी या सेवाओं की समाप्ति को शास्ति के रूप में नहीं माना जायगा।"

8 मूल स्कीम के पैरा 13 में, —

(i) विद्यमान उपपैरा (1) और (2) को उपपैरा (2) और (3) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपपैरा (2) से पहले, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"(1) विकास अधीक्षक या निरीक्षक श्रेणी 1 या निरीक्षक श्रेणी 2 समुचित वेतनमान में, 1 जनवरी, 1977 को वेतनवृद्धिया प्राप्त करेगा यदि उसका खर्च अनुपात पैरा 3 के खण्ड (17) के उपखण्ड (ख) में अनुबद्ध सीमा से बढ नहीं जाता है ;

(ii) इस प्रकार पुनसंख्यांकित उपपैरा (2) में,

(क) "1977" अंकों के स्थान पर, "1979" अंक रखे जाएंगे;

(ख) सारणी में, "न्यूनतम वृद्धि" शीर्ष के नीचे, दूसरी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"साढे सात प्रतिशत या पन्द्रह हजार रुपये, जो भी कम है।"

(ग) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपपैरा (3) में "उपपैरा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपपैरा (2)" कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

9. मूल स्कीम के पैरा 19 में, उपपैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) निरीक्षक श्रेणी 1 या निरीक्षक श्रेणी 2—

(i) साधारण बीमा कारबार की प्राप्ति के लिए अभिकर्ताओं (एजेन्टों) की भर्ती के लिए सिफारिश, उनके प्रशिक्षण में सहायता, उनका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन;

(ii) अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र में साधारण बीमा कारबार का विकास तथा सेवाएं ;

(iii) आवरण पत्र या कच्ची रसीद तैयार करना या जारी करना

(iv) कम्पनी द्वारा उसे समनुदेशित किसी कारबार की सेवा करना,

(v) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो उसे कम्पनी द्वारा समनुदिष्ट किए जाएं ;

(vi) निगम द्वारा विहित प्ररूप में डायरी रखना और बरिष्ठों द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना।"

[फा० सं० 65(5)बीमा-4, 17, 77]

एस० रामनाथन्, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

INSURANCE

New Delhi, the 28th June, 1978

S.O. 414(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Second Amendment Scheme, 1978.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the Principal Scheme), in paragraph 3—

(i) after sub-paragraph (11), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(11A) "gross Salary" means the aggregate of basic pay and dearness allowance payable under the new terms.";

(ii) after sub-paragraph (13), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(13A). "non-core allowances" means entertainment allowance, conveyance allowance or such other similar allowances as allowed or may be allowed by the Corporation.";

(iii) in sub-paragraph (15), after the words "paid in cash." the words "interim relief" shall be inserted;

(iv) after sub-paragraph (15), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(15A). "Present gross salary" means the residual of the present gross emoluments after deducting all allowances in the nature of house rent allowance, city compensatory allowance, hill station allowance and lunch allowance, paid in cash.";

(v) in sub-paragraph (17), he following Note shall be added below the Table in clause (b), namely :—

"Note :—Notwithstanding the limits of cost ratio specified in sub-column (b) of column (2) in the Table above, the relevant limits for the period from the 1s day of January, 1974 to the 31st December, 1977 shall be, as specified in sub-column (a) of column (2) of the above Table."

3. In paragraph 4 of the principal Scheme—in sub-paragraph (5), for the word "designed", the word "designated" shall be substituted.

4. In paragraph 5 of the principal Scheme, for the existing sub-paragraph (3) and (4), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely :—

"(3)(a). A Field Worker whose scheduled premium income for the year 1976 is not less than Rs. 45,000, shall be allowed to continue for the year 1977 as a Field Worker.

(b) If the performance of Field Worker referred to in clause (a) for he year 1977 conforms to the standards laid down in sub-paragraph (2), he shall be categorised accordingly with effect from the first day of January, 1978.

(4) The services of such of the Field Workers who cannot be allowed to continue as Field Workers under clause (a) of sub-paragraph (3) or who cannot be categorised as Inspector Grade I or Inspector Grade II under clause (b) of sub-paragraph (2), shall, after a review of their performance for the relevant year, be liable to termination immediately on the expiry of the period of 30 days from the date on which notices were served on them."

5. In paragraph 7 of the principal Scheme—

(i) in sub-paragraph (1), in sub-clause (i) of clause (a), for the words "monthly present gross emoluments as on the 31st day of December, 1975, are equivalent to the monthly gross salary", the following words shall be substituted, namely :—

"monthly present gross salary as on the 31st day of December, 1975, is equivalent to the monthly gross salary";

(ii) in sub-paragraph (2), in sub-clause (i) of clause (a), for the words, figures and letters "monthly present gross emoluments as on the 31st day of December 1974, are equivalent to the monthly gross emoluments", the following words, figures and letters shall be substituted, namely :—

"monthly present gross salary as on 31st day of December, 1974, is equivalent to the monthly gross salary."

(iii) in sub-paragraph (3), in sub-clause (i) of clause (a), for the words, figures and letters "monthly present gross emoluments on the 31st day of December, 1973 are equivalent to the monthly gross emoluments", the following words, figures and letters shall be substituted, namely :—

"monthly present gross salary as on the 31st day of December, 1973, is equivalent to the monthly gross salary".

(iv) in sub-paragraph (4), in clause (a)—

(a) in sub-clause (i), for the words figures and letters "monthly gross emoluments as on the 1st day of January, 1973, are equivalent to the monthly gross emoluments," the following words, figures and letters shall be substituted, namely :—

"monthly present gross salary as on 1st day of January, 1973 is equivalent to the monthly gross salary.";

(b) for sub-clause (ii), the following shall be substituted namely :—

"(ii) The basic pay as determined in terms of sub-clause (i), shall be treated as basic pay as on the 1st day of January, 1973.";

(c) in sub-clause (iii), for the words, brackets and figures "sub-clause (iii)", the words, brackets and figures "sub-clause (ii)" shall be substituted.

6. For paragraph 8 of the Principal Scheme the following paragraph shall be substituted, namely :—

"8. Method of fixation in respect of persons categorised under sub-paragraph (6) of paragraph (4) and sub-paragraphs (1), (2) and (3) of paragraph 5—

The basic pay of every person categorised as Inspector Grade I or Inspector Grade II under sub-paragraph (6) of paragraph 4 and sub-paragraph (1), (2) and (3) of paragraph 5 shall be fixed in the appropriate scale specified in the Schedule appended hereto in the manner indicated below :—

(i) The basic pay shall be fixed in the appropriate scale at a stage at which the monthly present gross salary as on the date of categorisation is equivalent to the monthly gross salary and if there is no such stage in the appropriate scale, at the stage next above in the said appropriate scale.

(ii) If the basic pay as determined in clause (i) exceeds the maximum of the appropriate scale of pay, it shall be fixed at such maximum."

7. In paragraph 9 of the principal Scheme,

(i) in sub-paragraph (1), for the words, figures and brackets "Inspector Grade I or Inspector Grade II under sub-paragraph (2) of paragraph 5 or his services are terminated under sub-paragraph (3) of paragraph 5", the following words, figures and brackets shall be substituted, namely :—

"Inspector Grade I or Inspector Grade II under sub-paragraph (2) or sub-paragraph (3) of paragraph (5) or his services are terminated under sub-paragraph (4) of paragraph 5";

(ii) In sub-paragraph (3), for the words and figures "during the year 1976", the words "during any year" shall be substituted.

(iii) In the proviso to sub-paragraph (3), for the words "for the year 1975" the words "for therelevant year" shall be substituted.

8. For paragraph 11 of the principal Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"11. Cost Control.—(1) Every person of the Development Staff shall after his categorisation in accordance with the provisions of this Scheme, work with such cost as to maintain his Cost Ratio within the limits stipulated in sub-clause (b) (17 of paragraph 3.

(2) If the Cost Ratio for a particular year in respect of a member of the Development Staff exceeds the stipulated limits, the Non-Core allowances payable to him in the year immediately following the year under review, shall be reduced to the extent of the amount by which his Cost Ratio exceeds the stipulated limit during the year under review.

Provided that if the Non-Core Allowances payable to the concerned member of the Development Staff during the year immediately following the year under review are less than the reduction to be effected in terms of this paragraph no Non-Core Allowances shall be paid to the concerned member of the Development Staff during the year immediately following the year under review.

Provided further that no such reduction shall be effected, if no Non-Core Allowances were payable to the concerned member of the Development Staff during the year immediately following the year under review.

(3) If in respect of a member of the Development Staff the Cost Ratio is in excess of the stipulated limits, for the second year in succession, he should be issued a letter of warning to the effect that in the event of his Cost Ratio exceeding the stipulated limits for the third year in succession, his services shall be liable to be terminated.

(4) Where a person of the Development Staff is operating for three years in succession on a Cost Ratio which exceeds the stipulated limits, his services shall be liable to be terminated after the appraisal of his performance for the third year.

(5) Where the Non-Core Allowances of a person of the Development Staff are reduced under sub-paragraph (2), or his services are terminated under sub-paragraph (4), such reduction of Non-Core Allowances or termination of services shall not be deemed to be a penalty.

9 In paragraph 13 of the principal Scheme :—

(i) the existing sub-paragraphs (1) and (2) shall be renumbered as sub-paragraphs (2) and (3) and before sub-paragraph (2) as so re-numbered, the following paragrauh (2) as so re-numbered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(1) A Development Superintendent or an Inspector Grade I or Inspector Grade II shall earn increments in the appropriate scale of pay on the first day of January, 1977 and first day of January, 1978, if his Cost Ratio does not exceed the limit sipulated in sub-clause (b) of clause (17) of paragraph n3.

(ii) in sub-paragraph (2) as so re-numbered (a) for the figures "1977", the figures "1979" shall be substituted;

(b) In the table, under the heading "Minimum increase", for the second entry the following shall be substituted namely :—

"Seven and a half per cent of rupees fifteen thousand whichever is less.".

(c) in sub-paragraph 3 as so re-numbered, for the words, brackets and figure "sub-paragraph (1)" the words, brackets and figures "sub-paragraph (2)" shall be substituted.

10. In paragraph 19 of the prnicipal Scheme, for sub-paragraph (b), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

to:

"(b) Inspector Grade I or Inspector Grade II—

(i) to recommend for recruitment, assist in training guide and motivate the agents for procuration of general insurance business;

(ii) to develop and service general insurances business in the area under his jurisdiction;

(iii) to prepare and issue cover notes and kutcha receipts;

(iv) to service any business which may be assigned to him by the Company;

(v) to discharge such other functions as may be assigned to him by the company;

(vi) to maintain diary in format prescribed from time to time by the Corporation and present it when demanded by the superiors."

[F. No. 65(5)/Ins. IV/17/77]

S. RAMANATHAN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 110054, 1978